

प्रेस नोट



विदेशी शस्त्रों के पुर्जों में अवैध परिवर्तन कर उन्हें बेचने के सभी 12 आरोपियों को सजा 4 को आजीवन कारावास तथा 3-3 लाख का अर्थदण्ड तथा 8 को 10-10 वर्ष का कारावास व 2.5- 2.5 लाख का अर्थदंड

दिनांक : 12 नवम्बर, 2019

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2013 में एटीएस उ.प्र. को सूचना मिली थी कुछ लोग विदेशी शस्त्रों के पुर्जों में हेर-फेर करके उन्हें प्रतिरूपित करके अच्छे दामों में बेचते हैं। इस सूचना को एटीएस उ.प्र. द्वारा विकसित करने पर प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति **खालिद** जो **एल्विनडिसा** (जेल में ही मृत्यु हो गयी) नाम के व्यक्ति से साठगाँठ कर कनाडा और सिंगापुर से असलहों के पुर्जे मंगाता था। जिन्हें बाद में **नेशनल गन हाउस-लखनऊ, किसान गन हाउस-लखनऊ, गुरुरामदास आर्मरी-कानपुर व जैन गन हाउस-सिरसा, हरियाणा** से मिलकर अवैध शस्त्र तैयार करते थे जो हूबहू ब्रांडेड दिखते थे जिन्हें मिंटू शर्मा (नक्सली) व अन्य अभियुक्तों की सहायता से अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे।

प्रकरण उपरोक्त के सम्बन्ध में एटीएस उ.प्र. द्वारा मु.अ.सं-01/2013 अंतर्गत धारा-420, 467, 468, 471, 120b, 121a, 121, 122 भा.द.वि. व 3/5/25//30/35 आर्म्स एक्ट बनाम **खालिद** व अन्य 11 अभियुक्त दर्ज किया गया था।

बरामदगी

- रायफल एके-56 - 1 अदद
- रायफल 315 - 7 अदद
- कार्बाइन - 1 अदद
- पिस्टल/रिवाल्वर (पूर्ण निर्मित) - 28 अदद
- पिस्टल/रिवाल्वर (अर्ध निर्मित) - 7 अदद
- बुलेट प्रूफ जैकेट - 1 अदद
- भारी मात्रा में शस्त्रों के कल पुर्जे (ट्रिगर, बैरल आदि)
- हजारों की संख्या में कारतूस

विवरण अभियुक्तगण

आजीवन कारावास एवं 3 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित अभियुक्तगण

1. मो. खालिद पुत्र इकराम निवासी 332/239 पुल गुलाम हुसैन, थाना-चौक, लखनऊ
2. गुरचरण सिंह पुत्र वजीर सिंह निवासी-120/906, रणजीत नगर, थाना-नजीराबाद, कानपुर नगर
3. अमित पाल सिंह पुत्र सरदार गुरुवचन सिंह निवासी मेसर्स गुरुरामदास अरमरी, मेस्टर्न रोड, कानपुर नगर
हाल पता- 120/906, रणजीत नगर, थाना-नजीराबाद, कानपुर नगर

4. अजयपाल सिंह पुत्र स्व. सतपाल सिंह सरना निवासी-10 लाटूश रोड किसान गन हाउस, थाना-कैसरबाग, लखनऊ।
हालपता - 440 पुराना हैदाराबद्द थाना- महानगर, लखनऊ

10 वर्ष के कारावास एवं 2.5 लाख के अर्थदंड से दण्डित अभियुक्तगण

1. मंटू शर्मा उर्फ संजय सिंह पुत्र स्व. विजय कुमार शर्मा निवासी गमहारी, थाना-उपहारा, जिला-औरंगाबाद, बिहार
2. अनिल कुमार जैन पुत्र स्व. निरंजनदास निवासी- में. जैन ब्रदर्स आर्म्स & अमुनातिओं डीलर मंडी, डबवाली, सिरसा, हरियाणा।
हाल पता- वार्ड नं 2 , अपोजिट अगरवाल धर्मशाला, मंडी, डबवाली, सिरसा, हरियाणा।
3. हरिश्चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व. रमाकांत पाण्डेय निवासी-SS-2, 405/406, सेक्टर-एफ, जानकी पुरम, थाना-जानकीपुरम, लखनऊ
मूलपता- ग्राम नारियांव, थाना-जहागीर गंज, जिला-अम्बेडकर नगर
4. विमल कुमार विश्वकर्मा पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी-EWS-65, दबौली वेस्ट, थाना गोविन्द नगर, कानपुर नगर
5. कल्लू शर्मा पुत्र पंचम लाल शर्मा निवासी- सिकोहना, थाना- घाटमपुर, जिला कानपुर नगर
हाल पता -139 मोहनलाल गंज, दबौली वेस्ट, थाना गोविन्द नगर, कानपुर नगर
6. रमजान पुत्र मो. अब्बास निवासी- मचरिया, बड़ी मस्जिद के पास, थाना-नौबस्ता, कानपुर नगर
मूल पता ग्राम-दरीपुर, थाना-जगदीश पुर, जिला-भोजपुर, बिहार
7. जुनैद अरशद उर्फ छोटे पुत्र अरशद मियां निवासी-40/112, नवाब इब्राहीम का हाता, परेड, थाना मूलगंज, कानपुर नगर
8. ज़फर अरशद उर्फ बाबर पुत्र पुत्र अरशद मियां निवासी-40/112, नवाब इब्राहीम का हाता, परेड, थाना मूलगंज, कानपुर नगर

मृत अभियुक्त का विवरण

1. एल्विन दिशा पुत्र वाल्टर जोसेफ दिशा निवासी-504, सोल्वेशन अपार्टमेंट, एन एम. काले मार्ग थाना-दादर वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र (पेशा-पायलट, पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है)

उक्त अभियोग की सघन पैरवी एटीएस के अभियोजन विंग द्वारा की गयी जिसमें जयेश अभियोजन अधिकारी एटीएस श्री अतुल ओझा, स्पेशल काउंसिल श्री शरद दीक्षित, आरक्षी पैरोकार बेचू प्रसाद व आरक्षी पैरोकार शांति प्रसाद गिरी द्वारा की गयी।

माननीय न्यायालय एडीजे- चतुर्थ, लखनऊ द्वारा निर्णीत वाद में उपरोक्त अभियुक्तों को धारा- 420, 467, 468, 471, 120b,121, भा.द.वि. व 3/5/25//30/35 आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए उपरोक्त कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।